21/09/2021

वकील अपीलांट उपस्थितं। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील अपीलांट को दिलायी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त हस्तगत अपील न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या 34/2021 निर्णय दिनांक 15.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर सायला के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील को खारिज किया था। जिसकी पालना प्रक्रिया के तहत रास्ते का म्युटेशन किया है। जिसके लिए अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीपीसी 1908 धारा 144 सपठीत धारा 151 का पेश किया गया था जिसको तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण दिनांक 26.07.2021 को खारिज कर दिया गया था। साथ ही हस्तगत प्रकरण में पंकु कंवर पत्नी छतरसिंह जो क़ी एक प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी मुझे हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया गया है। एवं न्यायालय हाजा से दिनांक 17.08.2021 को एकतरफा आदेश प्राप्त किया गया है जो कि हाजा न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार सायला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीपीसी 1908 धारा 144 सपठीत धारा 151 मे पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठीत धारा 151 की अपील पोषणीय नही होती है। उक्त प्रार्थना पत्र की चाराजोही सक्षम न्यायालय में की जा सकती है। न्यायालय हाजा मे पोषणीय नही है। अतः उक्त अपील विधि अनुरूप नही होने एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवयक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली